डी-26015/01/2015-पीएमजी

भारत सरकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

***

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली – 110011

दिनांक 12 मई, 2015

## निविदा सूचना

## वाहन (सीएनजी ईंधन वाले) किराए पर लेना

1. प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली को प्रतिष्ठित, अनुभवी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ टैक्सी सर्विस प्रदाता से किराए पर सीएनजी ईंधन वाले वाहन उपलब्ध कराने के लिए **दो बोली सिस्टम (भाग-1 तकनीकी बोली और भाग-2 वित्तीय बोली)** के अंतर्गत मोहरबंद निविदा आमंत्रित है। शुरू में यह संविदा दो वर्ष के लिए होगी जिसे प्रधान मंत्री कार्यालय की आवश्यकता और प्रशासनिक सुविधानुसार परफार्मेंस की समीक्षा के आधार पर 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। नियमित आधार पर लगभग 15 गाड़ियों की जरूरत है, लेकिन कार्यालय की आवश्यकतानुसार यह संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है।

2. **निविदा संबंधी दस्तावेज प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट pmindia.nic.in** अथवा **pmindia.gov.in** से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

3. सभी प्रकार से पूर्ण निविदा दस्तावेज के साथ बिना ब्याज के प्रतिदेय 2,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए मात्र) की धरोहर रशि जो अनुभाग अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली को डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के रूप में देय हो, **प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली के डाक काउंटर पर दिनांक 01.06.2015 को सांय 05:30 बजे तक** प्राप्त हो जाने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में निर्धारित तिथि और समय के बाद कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

4. तकनीकी निविदा 04.06.2015 को 1500 बजे कमरा नं. 236 डी, प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली-110011 में फर्मों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाएगी। प्रत्येक फर्म से एक ही प्रतिनिधि को अनुमति दी जाएगी। सर्वप्रथम तकनीकी निविदा का मूल्यांकन इस प्रयोजन के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा गठित निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) द्वारा किया जाएगा। दूसरे चरण में, अन्य तिथि पर केवल उन्हीं फर्मों की वित्तीय निविदा खोली जाएगी जो तकनीकी निविदा चरण में पात्र पाए जाते हैं। वित्तीय निविदा खोलने की निर्धारित तारीख, समय एवं स्थान की सूचना अलग से दी जाएगी। तकनीकी/वित्तीय निविदाओं के मूल्यांकन के बाद निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) न्यूनतम राशि की निविदा के संबंध में अपनी स्पष्ट संस्तुति देगी जिसका चयन TEC के सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तुलनात्मक विवरण के साथ किया जाएगा।

5. सक्षम प्राधिकरण अर्थात प्रधान मंत्री कार्यालय के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी समय निविदा को रद्द करने अथवा निविदा दस्तावेज में निहित किसी भी शर्त या अनुबंध में संशोधन करने/उसे वापस लेने का अधिकार सुरक्षित है।

आर. मैथिली

(आर.मैथिली)

अवर सचिव, भारत सरकार

23018130

प्रतिलिपि:

1. एस.टी.डी (एन.आई.सी.) को निविदा दस्तावेज को प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इस निविदा दस्तावेज की प्रति उन वेंडर्स को उपलब्ध कराएं जिन्हें सरकारी स्टेशनरी की खरीद/आपूर्ति के लिए उनके द्वारा ठेका दिया गया है।

**भारत सरकार**

**प्रधान मंत्री कार्यालय**

**(सामान्य अनुभाग)**

**<u>निविदा दस्तावेज</u>**

**प्रधान मंत्री कार्यालय के लिए प्रतिष्ठित टैक्सी सर्विस प्रदाता से सीएनजी ईंधन के वाहनों की टैक्सी सेवाएं लेना**

| | |
|---|---|
| निविदा दस्तावेज जारी करने की तारीख | 12.05.2015 |
| निविदा दस्तावेज को प्राप्त करने की अंतिम तारीख और समय | 01.06.2015<br>(सांय 1730 बजे तक) |
| निविदा खोले जाने की तारीख और समय: मई, 2015 को 1530 बजे<br>दस्तावेज: | 04.06.2015<br>(1500 बजे) |
| पात्र निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोली | बाद में अधिसूचित की जाएगी |

## निविदा दस्तावेज की विषयवस्तु

| क्रम संख्या | विषयवस्तु का विवरण |
|---|---|
| | निविदा सूचना |
| क | निविदाकर्ता का कार्य क्षेत्र और सामान्य अनुदेश |
| ख | नियम और शर्तें |
| ग | दंड प्रावधान |
| घ | तकनीकी योग्यता मानदंड |
| ङ | तकनीकी बोली का प्रपत्र |
| च | दो वर्षों की बड़ी संविदाओं के ब्यौरे |
| छ | वित्तीय बोली का प्रपत्र |

क. <u>निविदाकर्ता का कार्य क्षेत्र और सामान्य अनुदेश</u>

1. प्रधान मंत्री कार्यालय को जिसका कार्य साउथ ब्लाक, आर.सी.आर/संसद भवन और रेल भवन, नई दिल्ली- 110011 में किया जाता है, को प्रतिष्ठित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ टैक्सी सर्विस प्रदाता (यहां इसके बाद "सेवा प्रदाता" के नाम से संबोधित) से दिल्ली और एन.सी.आर. में किराए पर सीएनजी ईंधन वाले वाहन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

2. यह संविदा, संविदा प्रदान किए जाने की तारीख से दो वर्ष के लिए मान्य होगी, और इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा परफार्मेंस की समीक्षा के आधार ही पर आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी।

3. इच्छुक सेवा-प्रदाता के विधिवत निविदा दस्तावेज तकनीकी बोली सहित **2,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए मात्र) की धरोहर राशि (EMD) के साथ प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110011 के स्वागत काउंटर पर रखे निविदा बक्से में दिनांक 01.06.2015 को सांय 05:30 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।**

4. निविदा को दो बोली सिस्टम के आधार पर स्वीकार किया जाएगा। इच्छुक सेवा-प्रदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे तकनीकी और वित्तीय बोलियों को अलग-अलग दो मोहरबंद लिफाफों के ऊपर क्रमश: **"प्रधान मंत्री कार्यालय में टैक्सी सेवाएं प्रदान करने हेतु तकनीकी बोली"** और **"प्रधान मंत्री कार्यालय में टैक्सी सेवाएं प्रदान करने हेतु वित्तीय बोली"** लिखकर प्रस्तुत करें। मोहरबंद इन दोनों लिफाफों को एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखा जाना चाहिए, जिसके ऊपर **"प्रधान मंत्री कार्यालय में टैक्सी सेवाएं प्रदान करने हेतु निविदा"** लिखा जाना चाहिए।

5. **सेवा प्रदाताओं को तकनीकी बोली के साथ अनिवार्य रूप से (बिना ब्याज के) प्रतिदेय 2,00,000/- रुपए (दो लाख रुपए मात्र) की धरोहर राशि जमा (EMD) करानी होगी जो डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के रूप में अनुभाग अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय, नई**

**दिल्ली के पक्ष में देय होगी, जिसके अभाव में निविदा को सीधे-सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा।**

6. संविदा प्रदान किए जाने के बाद प्रदत्त संविदा दरों का निर्धारण सी.एन.जी मूल्यों की समीक्षा पर निर्भर करेगा। यदि सी.एन.जी मूल्यों की कोई समीक्षा होती है तो संविदा दरों में मौजूदा सी.एन.जी ईंधन मूल्यों का एक-चौथाई (1/4) संशोधन माना जाएगा। जिस माह में यह संशोधन होगा उसके अगले माह की पहली तारीख से इसे प्रभावी माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि 27 जून को सी.एन.जी मूल्यों में 10% की बढ़ोत्तरी/कमी आती है तो संविदा की दरों में 2.5% की बढ़ोत्तरी/कमी मानी जाएगी, जिसे 1 जुलाई से प्रभावी माना जाएगा।

7. सफल निविदाकर्ता को परफार्मेंस सेक्यूरिटी डिपाजिट के तौर पर 6,00,000/- (मात्र छः लाख रुपए) जमा कराने होंगे। यह राशि एकाउंट पेई डिमांड ड्राफ्ट/मियादी जमा पावती FDR के रूप में होगी और एजेंसी के नाम से होगी तथा प्रधान मंत्री कार्यालय के अनुभाग अधिकारी अथवा किसी एक वाणिज्यिक बैंक की गारंटी के रूप में होगी, जिसमें संविदा की अवधि का उल्लेख होगा। परफार्मेंस सेक्यूरिटी डिपाजिट, प्रारंभिक वर्ष के लिए संविदा समाप्ति की तारीख के बाद नब्बे दिनों की अवधि के लिए और बोलीकर्ता द्वारा अपने वारंटी दायित्वों सहित सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने तक यदि संविदा को शुरूआती अवधि के बाद आगे बढ़ाया जाता है तो सफल निविदाकर्ता को तदनुसार परफार्मेंस सेक्यूरिटी का नवीकरण फिर से कराना होगा।

8. **सशर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे-सीधे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।**

9. निविदा फार्म की सभी प्रविष्टियां पठनीय और स्पष्ट होनी चाहिए। यदि जानकारी प्रदान करने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है तो प्राधिकृत हस्ताक्षरी विधिवत हस्ताक्षर कर अलग से एक पृष्ठ जोड़ सकता है। **वित्तीय बोली फार्म में किसी भी प्रकार की ओवर-राईटिंग या कटिंग की अनुमति नहीं है।** किसी भी अवस्था में वित्तीय बोली के प्रारूप में बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलो में निविदा को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। फिर भी,

तकनीकी बोली आवेदन में, कटिंग्स, यदि कोई हो, को निविदा बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित जरूर किया जाए।

10. पार्टनरशिप फर्म के मामले में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की एक प्रति, अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा यथावत सत्यापित जनरल पावर ऑफ अटोर्नी, स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट अथवा जनरल पावर ऑफ अटोर्नी के क्रियान्यवन की सभी पार्टनरर्स द्वारा शपथ ली गई हो या ऐसा सुनिश्चित किया गया हो। फर्म के पंजीकरण के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति भी 'प्रधान मंत्री कार्यालय से संपर्क करने वाले प्राधिकृत पार्टनर के नाम सहित' निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

11. निविदा दस्तावेज और अनुलग्नक के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के अथवा प्राधिकृत व्यक्ति के मुहर के साथ हस्ताक्षर होने चाहिए।

12. तकनीकी बोली निर्धारित तारीख और समय पर (1500 बजे, तारीख 04.06.2015), प्रधान मंत्री कार्यालय का कमरा संख्या 236 डी, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011 में, एजेंसी/फर्म के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यदि कोई हो तो (प्रत्येक फर्म से एक से ज्यादा प्रतिनिधि न हो), जो निविदा के खोले जाने के समय उपस्थित रहने के इच्छुक हों, शुरू की जाएगी।

13. वित्तीय बोली में केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं को शामिल किया जाएगा जो तकनीकी बोली में क्वालिफाई करेंगे। वित्तीय बोलियों के लिए निर्धारित समय और स्थान इत्यादि की सूचना केवल उन्हीं एजेंसियों/फर्मों को दी जाएगी जो तकनीकी बोली स्तर में क्वालीफाई हो चुके हैं।

14. बोली लगाने वाली फर्म को इस बात के लिए स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र देना होगा कि फर्म को केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों/बैंकों इत्यादि द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि बोली लगाने वाली फर्म ने झूठी सूचना या तथ्य दिए हैं अथवा तथ्यों को छुपाया है अथवा दस्तावेजों से

छेड़छाड़ इत्यादि की है तो धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और बोली/संविदा रद्द/निरस्त कर दी जाएगी।

15. तकनीकी बोली शुरू हो जाने के बाद बोली लगाने वाली किसी भी फर्म को बोली छोड़कर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि तकनीकी बोली शुरू होने के पश्चात कोई फर्म बोली छोड़ने का इरादा करती है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

16. करार किए जाने के पश्चात, यदि सफल बोलीकर्ता (L1) आवश्यक वाहन/टैक्सी उपलब्ध नहीं करा पाता है तो संविदा को रद्द करना पड़ेगा और साथ ही प्रतिभूति राशि भी जब्त कर ली जाएगी तथा परिणामस्वरूप काली सूची में डालने जैसी कार्रवाई, जो भी उचित समझी जाए, शुरू की जा सकती है।

17. सबसे कम बोली लगाने वाले (L1) का निर्णय वित्तीय बोली प्रारूप में परिभाषित भारित राशि के आधार पर किया जाएगा।

**<u>ख. नियम व शर्तें</u>**

1. संविदा किए जाने की तारीख से दो सालों के लिए वैध होगी, जिसे बढ़ाया जा सकता है जिसकी अवधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी, परंतु कार्य निष्पादन की समीक्षा के पश्चात छः माह से अधिक के लिए नहीं।

2. प्रधान मंत्री कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं तो संविदा को अल्प अवधि में ही समाप्त कर दिया जाएगा। असंतोषजनक सेवा का अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा - सेवा-प्रदाता द्वारा संविदा के किसी भी दायित्व का निर्वहन न करना या पूरा न करना और अथवा निविदा/संविदा के किसी नियम या शर्त का उल्लंघन करना और प्रधान मंत्री कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में विसंगति/कमियों को दूर न कर पाने के बारे में पता चलना।

3. इस करार की वजह से, ड्राइवर और प्रधान मंत्री कार्यालय के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा। सभी सांविधिक दायित्वों को पूरा करते हुए ड्राइवरों को वेतन और अन्य भत्तों के भुगतान की पूरी जिम्मेदारी सेवा-प्रदाता की होगी और इस संबंध में ड्राइवरों द्वारा की गई किसी भी शिकायत पर प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी।

4. बिना किसी कारणवश प्रधान मंत्री कार्यालय की ओर से दो माह के लिखित नोटिस पर और सेवा-प्रदाता की ओर से तीन माह के नोटिस पर करार को पहले ही समाप्त किया जा सकता है और सक्षम प्राधिकारी का निर्णय सेवा-प्रदाता को मानना होगा। ऐसे निर्णय के कारण होने वाली हानि/राजस्व की प्रतिपूर्ति के किसी भी दावे पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

5. सफल बोलीकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सभी वाहन **जून 2014** के या इसके बाद के होने चाहिए और यांत्रिक रूप से मजबूत होने चाहिए और इनमें संविदा में परिभाषित किए गए अन्य आवश्यक एक्सेसरीज सहित समुचित इंटिरियर होना चाहिए।

6. उल्लिखित दरों में सभी प्रकार की दरें शामिल होंगी और किसी अन्य खर्चे का अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।

7. कोई रात्रि शुल्क नहीं दिया जाएगा।

8. 24x7 आधार पर सेवाएं प्रदान की जाएगी। सेवा-प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन और ड्राईवर पर्याप्त संख्या में इस तरह उपलब्ध रहें कि ड्राईवरों की छुट्टी/आराम और आपातकालीन जरूरतों से संबंधित मामले सांविधिक नियमों/विनियमों द्वारा सुलझा लिए जाएं। उपलब्ध वाहनों और ड्राईवरों की सूची सेवा-प्रदाता द्वारा मासिक आधार पर उपलब्ध करानी होगी।

9. "वाहन के चलने" और "काम के घंटों" के लिए माइलेज की गणना रिपोर्टिंग स्थान से या वाहन चलने के स्थान से, जैसा भी मामला हो, की जाएगी।

10. लंच/ब्रेकफास्ट या पैट्रोल/डीजल भरवाने आदि के लिए ड्राइवरों द्वारा तय की गई दूरी को नहीं गिना जाएगा।

11. वाहनों का औसत रूप से चलना और काम के घंटे दिन/माह के लिए निर्धारित घंटे और किलोमीटर से अधिक हो सकते हैं।

12. सेवा-प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन को ड्यूटी पर भेजने से पहले उसमें पूरा ईंधन भर दिया गया है।

13. सेवा-प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि सभी ड्राइवरों के पास लाइव मोबाइल फोन कनेक्शन हों ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके।

14. सेवा-प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए ड्राइवरों की ड्यूटी जिन अधिकारियों के साथ लगाई गई है उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। उनमें शिष्टता और विनम्रता होनी चाहिए। ड्राइवर एनसीआर क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित होना चाहिए, समय का पाबंद होना चाहिए, उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, साफ-सुथरी यूनिफॉर्म होनी चाहिए जिसमें उसके नाम का बैज लगा हो। ड्यूटी के समय ड्राइवर धूम्रपान अथवा मद्यपान न करे और खाली समय में ताश न खेले। (एनसीआर क्षेत्र की विस्तृत मानचित्र पुस्तिका कार में होनी चाहिए)।

15. प्रधान मंत्री कार्यालय को फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों में से कम से कम तीन वाहनों में सभी जरूरी कागजात होने चाहिए ताकि उन वाहनों को एनसीआर क्षेत्र अर्थात नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव इत्यादि में चलाया जा सके।

16. वाहनों के समय-समय पर रखरखाव के दौरान सेवा-प्रदाता उसी निर्माता और निर्माण वर्ष का वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराएगा।

17. वाहन में हमेशा फर्स्ट-एड-बॉक्स और फ्यूज, स्पार्क प्लग, बेल्ट, आग बुझाने का यंत्र, टॉर्च, छतरी इत्यादि आवश्यक स्पेयर्स उपलब्ध हों।

18. सेवा-प्रदाता को आयकर, ईएसआई, पीएफ, कान्ट्रेक्ट लेबर (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, श्रम कानून इत्यादि के तहत बाध्यताओं का अनुपालन करना होगा और दुर्घटना इत्यादि के कारण तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान की भरपाई करनी होगी।

19. रोड टैक्स, सेवाकर, यातायात नियमों का उल्लंघन करने तथा उचित प्राधिकरण को अन्य देय राशि का भुगतान न करने के कारण होने वाली सभी कानूनी कार्रवाइयों के लिए सेवा-प्रदाता जिम्मेदार होगा और दुर्घटना अथवा अन्य विभिन्न कारणों से होने वाली मौत/चोट/नुकसान की स्थिति में ड्राइवरों तथा संबंधित अन्य पक्षों को मुआवजा भी देगा।

20. इस संविदा के परिणामस्वरूप सामने आने वाले सभी सांविधिक बाध्यताओं का अनुपालन करना सेवा-प्रदाता की जिम्मेदारी होगी।

21. सेवा-प्रदाता एक महीने के लिए उपलब्ध कराए गए वाहनों का बिल और गाड़ी के चलने के घंटे तथा तय की गई दूरी का प्रमाण-पत्र (अधिकारी द्वारा महीने के दौरान किलोमीटर में तय की गई दूरी) प्रस्तुत करेगा। ये बिल आगामी माह की 5 तारीख तक प्रधान मंत्री कार्यालय के अवर सचिव अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

22. इस्तेमाल किए गए वाहनों का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा जिसका निर्धारण किराए पर लिए गए सभी वाहनों के लिए एक साथ किया जाएगा अर्थात प्रति वाहन प्रति माह 2400 कि.मी. और 360 घंटे।

23. विवाद की किसी भी स्थिति में फर्म, प्रधान मंत्री कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगी। यदि विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के तहत केवल मध्यस्थ को ही भेजा जाएगा। विवाद का निपटान दिल्ली में ही किया जाएगा। यदि विवाद को न्यायालय में सुलझाने की स्थिति आती है तो यह दिल्ली न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

24. सेवा-प्रदाता मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में, वाहन के बीमा के लिए उत्तरदायी होगा ।

25. सेवा-प्रदाता वाहन के संबंध में विधिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए भी उत्तरदायी होगा एवं प्रधान मंत्री कार्यालय को संविदा के कारण किसी भी नुकसान/दावों के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की गारंटी देगा ।

26. वाहनों में निम्नलिखित अनिवार्य अतिरिक्त एक्सेसरीज/यूटिलिटीज फिट करनी होंगी/उपलब्ध करानी होंगी:

1. साफ सीट कवर
2. अच्छी क्वालिटी का रेडियो म्यूजिक सिस्टम
3. रीडिंग लैम्प
4. टीश्यू पेपर बॉक्स
5. कार परफ्यूम
6. मोबाइल चार्जर
7. सीट बेल्ट (अगला व पिछला)
8. मॉनसून के दौरान छाता

27. सेवा-प्रदाता के पास पर्याप्त संख्या में ड्राइवर्स होने चाहिए जिन्हें दिल्ली व एन0सी0आर0 में ड्राइविंग का अनुभव हो ।

28. फर्म को एक घोषणा-पत्र अवर सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसमें मुद्रित लेटर-हेड पर यह उल्लेख किया गया हो कि उपलब्ध कराए गए ड्राइवर का चरित्र अच्छा है एवं जिसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिल्ली पुलिस द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो, ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है एवं वे दिल्ली व एन.सी.आर. के रास्तों से भली-भांति परिचित है, ।

29. सेवा-प्रदाता के पास पर्याप्त संख्या में टेलिफोन होनी चाहिए जिन पर उससे किसी भी समय संपर्क किया जा सके एवं यह नम्बर अवर सचिव अथवा इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी के साथ-साथ उस अधिकारी को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिसे वाहन मुहैया कराया गया है ।

30. सेवा-प्रदाता के पास 24X7 आधार पर बुकिंग स्वीकार करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

31. ड्राइवर द्वारा प्रत्येक वाहन के संबंध में तय की गई दूरी व समय का उल्लेख करते हुए दैनिक रिकॉर्ड रखा जाएगा जिसे मासिक सत्यापन के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय में संबंधित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

32. सेवा-प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराए गए वाहन का ओडोमीटर समुचित रूप से सील बंद है जिससे कि यात्रा दूरी में वृद्धि के उद्देश्य से इससे कोई छेड़-छाड़ न की जा सके ।

33. इसके अतिरिक्त, इस कार्यालय का प्राधिकृत अधिकारी उपलब्ध कराए गए वाहन के ओडोमीटर की औचक जांच किसी भी वर्कशॉप से करवा सकता है और इसके खर्च का वहन एजेंसी को करना होगा।

34. पूर्वोल्लिखित के अतिरिक्त, शर्तों एवं अनुबंधों के उल्लंघन पर निविदा दस्तावेज के भाग 'ग' में दिए गए दंड प्रावधान लगाए जाएंगे ।

ग. **दंड प्रावधान**

शर्तों एवं अनुबंधों के उल्लंघन पर, निम्नानुसार दंड वसूला जाएगाः

**(राशि रूपयों में)**

| **क्रम सं.** | **उल्लंघन** | **दंड राशि प्रति माह प्रति कार** | | | **प्रतिदिन प्रति कार राशि की कटौती** | **टिप्पणी** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **पहली बार** | **दूसरी बार** | **तीसरी बार** | | |
| 1. | कार में ए.सी. का काम न करना | | | | 500/- | ---- |
| 2. | वाहन खराब होने के एक घंटे के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने में असफल होने पर | 500/- | 1000/- | 2000/- | | दिन विशेष के किराए शुल्क का भी भुगतान नहीं किया जाएगा |
| 3. | वाहन के मीटर से छेड़-छाड़ | 1000/- | 2000/- | 3000/- | | सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकाधिकार से संविदा को समाप्त करने के साथ ही निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर सकते हैं/फर्म को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं |

| क्रम सं. | उल्लंघन | दंड राशि प्रति माह प्रति कार | | | प्रतिदिन प्रति कार राशि की कटौती | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पहली बार | दूसरी बार | तीसरी बार | | |
| 4. | अनियमितताएं जैसे ओवरराइटिंग, लॉग बुक में जाली प्रविष्टियां इत्यादि (लॉग बुक में रखी जाएगी) | 1000/- | 2000/- | 3000/- | | -यथोपरि- |
| 5. | प्रधान मंत्री कार्यालय एवं उन अधिकारियों, जिनके साथ वाहन अटैच किया गया है, को अग्रिम रूप से सूचित किए बगैर ड्राइवर बदलना | 500/- | -- | -- | | हर बार |
| 6. | प्रधान मंत्री कार्यालय एवं उन अधिकारियों, जिनके साथ वाहन अटैच किया गया है, को अग्रिम रूप से सूचित किए बगैर ड्राइवर बदलना | 500/- | 500/- | 500/- | | हर बार |
| 7. | ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने में ड्राइवर द्वारा/वाहन में विलंब (15 मिनट से अधिक) | 500/- | 1000/- | 2000/- | -- | दिन विशेष के किराए शुल्क का भी भुगतान नहीं किया जाएगा |
| 8. | वाहन के ईंधन टैंक का खाली रहना | 500/- | 500/- | 500/- | | हर बार |
| 9. | गंदा व मैला वाहन | 500/- | 500/- | 500/- | | हर बार |

| क्रम सं. | उल्लंघन | दंड राशि प्रति माह प्रति कार | | | प्रतिदिन प्रति कार राशि की कटौती | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पहली बार | दूसरी बार | तीसरी बार | | |
| 10. | औचक जांच के दौरान आवश्यक दस्तावेज जैसे आर.सी. की कॉपी / इंश्योरेंस / मूल प्रदूषण प्रमाणपत्र / एन.सी.आर. परमिट / ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत न करना | 500/- | 500/- | 500/- | | हर बार |
| 11. | स्थायी रूप से वाहन बदले जाने पर 07 दिनों के भीतर पुराने वाहन का पार्किंग लेबल नहीं लौटाने पर | 500/- | 500/- | 500/- | | प्रथम सप्ताह के उपरांत प्रति सप्ताह |
| 12. | किसी अन्य शर्त व अनुबंध का अनुपालन न करना | 500/- | 1000/- | 2000/- | | प्रति वाहन प्रत्येक उल्लंघन के लिए |

**घ. <u>तकनीकी निविदा पात्रता मापदंड</u>**

आवेदक को निम्नलिखित तकनीकी विनिर्दिष्टियों को अनिवार्यतः पूरा करना होगा ताकि वह भाग घ एवं ङ में उल्लिखित निविदा के तकनीकी मूल्यांकन के लिए पात्र हो।

I. आवेदक का कार्यालय दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित होना चाहिए। (पते का सबूत प्रस्तुत करना होगा।)

II. पार्टनरशिप फर्मों के मामले में, **पार्टनरशिप एग्रीमेंट की प्रति** अथवा सभी पार्टनर्स द्वारा स्टापं पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होगी। सभी पार्टनर्स विधिवत शपथपूर्वक पुष्टि करेंगे कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट अथवा जनरल

पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन में उनकी सहमति है । फर्म के पंजीकरण के प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति भी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी ।

III. आवेदक के पास केन्द्र सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/बैंकों को टैक्सी उपलब्ध कराने का **न्यूनतम दो वर्षों का अनुभव** होना चाहिए।

IV. **गत दो वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/पी.एस.यू./बैंक को टैक्सी सेवा प्रदान करने के कम से कम एक करार की प्रति व पूर्ति आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न की जानी चाहिए ।**

V. **पिछले तीन वित्तीय वर्ष अर्थात 2011-12, 2012-13, 2013-14 के दौरान** आवेदक का न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर (बिलिंग राशि) रूपये 40 लाख प्रत्येक वर्ष रहा हो। **चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित टर्नओवर विवरण की प्रति एवं निर्धारण वर्ष यानि वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 (वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के समकक्ष) के आयकर विवरण की प्रति भी निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करनी होगी।**

VI. आवेदक का स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए । **वर्ष 2011-12 व 2012-13** के लिए बैंक द्वारा जारी खाता विवरण की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए।

VII. आवेदक एजेंसी (व्यक्ति नहीं) सेवा कर विभाग के पास पंजीकृत होना चाहिए । पंजीकरण की सत्यापित प्रति निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न करनी होगी ।

VIII. यह स्व-प्रमाणित करना होगा कि फर्म को किसी केन्द्र सरकार विभाग/मंत्रालय/पी.एस.यू./बैंक इत्यादि द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है ।

IX. यदि यह पाया जाता है कि प्रतिभागी फर्म द्वारा प्रस्तुत कोई सूचना/प्रमाण पत्र असत्य है/झूठा है अथवा जाली है तो फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा एवं इसकी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा व धरोहर राशि/निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी ।

X. प्रधान मंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराए गए वाहन **केवल सी.एन.जी. ईंधन चालित** होने चाहिए।

**घ. तकनीकी बोली के लिए प्रपत्र**

| क्र. सं. | मानदंड | |
|---|---|---|
| 1. | एजेंसी का नाम | |
| 2. | संगठन की प्रकृति:(एकल स्वामित्व या भागीदारी फर्म या कंपनी या सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) | |
| 3. | पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता:-<br><br>दूरभाष:-<br><br>फैक्स:<br><br>ई-मेल:- | |
| 4. | दिल्ली में कार्यवाहक/ शाखा कार्यालय का पूरा पता:-<br><br>दूरभाष:-<br><br>फैक्स:<br><br>ई-मेल:- | |
| 5. | एजेंसी के बैंकर का पूरा पता (विगत तीन वर्ष के खातों के रख-रखाव का बैंकर का प्रमाण-पत्र संलग्न करें)<br><br>बैंकर का दूरभाष:- | |
| 6. | एजेंसी/ फर्म का पंजीयन क्रमांक | पंजीयन की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें |
| 7. | सर्विस टैक्स पजीयन क्रमांक | पंजीयन की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें |
| 8. | **2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14 के वित्तीय वर्षों** में एजेंसी का वित्तीय कारोबार | चार्टेड एकाउटेंट द्वारा सत्यापित वित्तीय विवरणी संलग्न करें |

| क्र. सं. | मानदंड | |
|---|---|---|
| 9. | **2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14 के मूल्यांकन वर्ष** की आयकर विवरणी (2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14 और 2014-15 के वित्त वर्ष के लिए) | आयकर विवरणी की छाया प्रति |
| 10. | पिछले तीन वर्ष में प्राप्त की गई प्रमुख निविदाएं | "च" में दिए गए प्रारूप के अनुसार संलग्न करें |
| 11. | गैर ब्लैक लिस्टिंग का स्व-सत्यापन | प्रमाण पत्र संलग्न करें<br>'क' में दिए प्रारूप के अनुसार |

दिनांक

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

नामः

मुहर:

## घोषणा

मैं ..... पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री ....., जो कि उपरोक्त उल्लिखित एजेंसी के मालिक/ निदेशक/ प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता हूं, इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने और इस निविदा प्रलेख का कार्यन्वयन करने में सक्षम हूं।

2. मैंने इस निविदा के सभी के निबंधन और शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है और इन्हें समझ लिया है।

3. उपरोक्त आवेदन के साथ प्रस्तुत सूचना/ प्रलेख वास्तविक हैं और मेरी जानकारी और मत के अनुसार मौलिक हैं। मैं/ हम इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत हैं कि किसी भी प्रकार की गलत सूचना/ जालसाजी के कारण मेरी निविदा किसी भी स्तर पर अस्वीकृत की जा सकती है। साथ ही मैं उपयुक्त कानून के अंतर्गत अदालती कार्यवाही के लिए भी जिम्मेदार रहूंगा।

4. मैं इस निविदा प्रलेख में विहित निबधंनों और शर्तों के अध्ययधीन एल-1 दरों पर कार्य करने की जिम्मेदारी लेता हूं।

दिनांक

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

स्थान:

नामः

**प्रारूप 'क'**

**(फर्म के लेटरहेड पर)**

**जिस किसी से भी संबंधित हो**

यह सत्यापित किया जाता है कि मै0 (फर्म का नाम और पता) को केंद्र सरकार / राज्य सरकार /सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ बैंकों के किसी भी सरकारी विभाग / मंत्रालय द्वारा ना/ तो ब्लैक लिस्ट किया गया है और ना/ ही इस फर्म के विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्जा करवाया गया है।

**मालिक/ प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और**
**हस्ताक्षर**

च. निम्नलिखित प्रारूप में विगत तीन वर्ष के दौरान टैक्सी सेवा को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए निविदा एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार / राज्य सरकारों /सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/ प्रतिष्ठित निजी फर्मों के साथ की गई प्रमुख निविदाओं का ब्यौरा

| क्रं.सं | पता, दूरभाष, और फैक्स नंबरों समेत ग्राहक का विवरण | निविदा की राशि(रू प्रति लाख में) | कार्यावधि | |
|---|---|---|---|---|
| | | | कब से | कब तक |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

(स्थान अपर्याप्त होने की स्थिति में विधिवत हस्ताक्षर के साथ एक पृथक शीट सलंग्न करें)

**छ. <u>वित्तीय बोली अनुसूची का प्रपत्र: दिल्ली/नई दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र</u>**

(1) मासिक आधार पर टैक्सी की दर (सेवा कर, पार्किंग और टोल प्रभार को छोड़कर सभी कर तथा लेविज सहित)

| क्र.सं. | निर्माता और मॉडल | 2400 कि.मी. और 300 घंटे का न्यूनतम किराया (प्रति माह रुपए में) -न्यूनतम मासिक दर |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| क. | Maruti D'zire(AC) अथवा Maruti Ciaz(AC) अथवा Toyota Etios(AC) | |

2. सबसे कम बोली लगाने वाले के मूल्यांकन का मापदण्ड 2400 कि.मी. और 360 घंटे के लिए प्रति वाहन न्यूनतम किराया की दर होगी।

3. निर्धारित न्यूनतम मासिक दर के बाद अतिरिक्त प्रति कि.मी. और प्रति घंटे की दर का निर्धारण कॉलम 3 में उल्लिखित दर को क्रमशः 2400 कि.मी. और 360 घंटे से विभाजित करके किया जाएगा।

4. वाहनों के इस्तेमाल के लिए मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा जिसका निर्धारण सामूहिक आधार पर किया जाएगा अर्थात पूरे महीने के दौरान किराए पर लिए गए वाहनों की वास्तविक संख्या के लिए प्रति माह 2400 कि.मी. और 360 घंटे की दर से। बिल तैयार करने के लिए प्रत्येक वाहन के प्रतिदिन के घंटे को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

5. यदि कुछ वाहन दैनिक आधार पर किराए पर लिए जाते हैं, तो इसकी दर कॉलम 3 में उल्लिखित दर को 30 से विभाजित करने के बाद प्राप्त होने वाली दर होगी। किराए पर लिए गए ऐसे वाहनों के भुगतान के लिए फर्म अगले महीने अलग से बिल प्रस्तुत करेगी।

**ज. <u>भुगतान की शर्तें:</u>**

1. न तो कोई अग्रिम भुगतान किया जाएगा और न ही आवंटित किए गए कार्य के आधार पर किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण की अनुशंसा की जाएगी।

2. सेवा-प्रदाता बिल राशि की मंजूरी प्राप्त करने तथा भुगतान हेतु बिल पास कराने के लिए विगत माह का बिल (मासिक भुगतान के मामले में) आगामी महीने के पहले सप्ताह में प्रस्तुत करेगा।

3. सभी भुगतान केवल ईसीएस/चेक द्वारा ही किए जाएंगे।

4. यदि कोई अर्थदण्ड लगाया जाता है, तो प्रधान मंत्री कार्यालय को उसे वसूल करने के लिए संपूर्ण भुगतान को अथवा भुगतान के कुछ अंश को रोकने का अधिकार होगा।

5. इस अनुच्छेद में उल्लिखित शब्द 'भुगतान' में संविदा के अलग खण्डों द्वारा नियंत्रित धरोहर राशि तथा प्रतिभूति राशि को छोड़कर इस संविदा के परिणामस्वरूप सेवा-प्रदाता को देय सभी भुगतान शामिल हैं।

6. जहां कहीं भी लागू हो, सभी भुगतान संविदा के अनुसार भुगतान अनुसूची के अनुसार किए जाएंगे।

***